>

Title: Need to protect crops from the menace of wild animals in Himachal Pradesh.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए विशेष समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि जो हिली स्टेट्स हैं एवं अन्य कई राज्यों में आज जंगली जानवरों की वजह से किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, उस मुद्दे को मैं आज सदन में रखना चाहता हूं। विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर आज जंगली जानवरों जैसे बंदर, सुअर, नीलगाय, बारहसिंगा, चीता, लंगूर, खरगोश आदि की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 है और उसमें जो अमेंडमेंट वर्ष 2005 में लाई गयी, वह इतना सख्त है कि हम जानवरों को किसी भी दृष्टि से मार नहीं सकते हैं। आज स्थिति यह है कि लोग जब जंगलों में अपने काम के लिए जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, बच्चे जाते हैं, उनको जंगली जानवर मार देते हैं, परन्तु लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए उनको मार नहीं सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे यहां के किसानों ने खेती-बाड़ी करना बंद कर दिया है क्योंकि ये जंगली जानवर जैसे बंदर खेतों में जाकर कुछ ही समय में, दस मिनट में ही पूरे का पूरा खेत तबाह कर देते हैं। इससे किसानों ने खेती करना बंद कर दिया है। यहां तक कि जितने अच्छे खेत थे, सारे तबाह हो गए हैं और लोगों ने उन जमीनों को बेचना शुरू कर दिया है। मेरा आपसे आग्रह है कि जो इतना भारी नुकसान हो रहा है, मैं हिमाचल प्रदेश का ही कहना चाहता हूं, कि आज हिमाचल प्रदेश का एनुअल लॉस 2000 करोड़ रुपये के करीब है। मैं आपको वहां के कुछ फिगर्स बताना चाहता हूं। हमारे यहां कुल 3243 पंचायतें हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी मांग क्या है?

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदय, उनमें से 2300 से अधिक पंचायतें जंगली जानवरों से प्रभावित हैं। प्रदेश सरकार ने कोशिश की थी कि वहां पर स्टरलाइजेशन के माध्यम से, बंदरों की स्टरलाइजेशन करने से उनकी पापुलेशन पर रोक लगाने का प्रयास किया था। प्रदेश की सरकार वहां पर एक कानून लाई थी कि जो जंगली जानवर हैं, अगर वे किसानों का नुकसान कर रहे हैं, तो उनको मारने की वहां पर इजाजत दी थी, लेकिन कुछ एनजीओज ने हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर दी है, जिससे हाईकोर्ट ने उस पर बैन लगा दिया है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि केन्द्र सरकार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 में इस प्रकार का अमेंडमेंट लाए जिससे किसानों को हो रहे नुकसान और जिस तरह से जानवर आदमियों को मार रहे हैं, उस पर रोक लगे। किसानों की हिफाजत हो जाए, उनकी फसलों की हिफाजत हो जाए। यही मेरा आपसे आग्रह है।

इसी के साथ मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि वहां पर मनरेगा के अंतर्गत रखवाले नियुक्त किए जाएं, ताकि वहां के लोकल लोगों को रोजगार मिले।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसमें मनरेगा की बात क्यों ला रहे हैं?

श्री वीरेन्द्र कश्यप : किसानों के पास थोड़ी-थोड़ी जमीन हैं, दो-चार बीघे जमीन है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप शून्यकाल में दो विषय एक साथ कैसे उठा सकते हैं?

श्री वीरेन्द्र कश्यप : यही मैं आपके माध्यम से मांग सदन के सामने रखना चाहता हूं।

SHRI P. LINGAM (TENKASI): Sir, I would also associate with Shri Virender Kashyap.

MR. CHAIRMAN : You say that want to associate with him. It is allowed. Please send the slip.